



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3798]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 21, 2019/कार्तिक 30, 1941

No. 3798]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 21, 2019/KARTIKA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक वासूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2019

का.आ. 4224(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत दिनांक 18.07.2019 को पीडी-12001/41/2019 – कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री फैजल कुडिलाट्टुम्मल, सुपुत्र श्री उस्सैन एन के, निवासी कुडिलाट्टुम्मल, थोट्टूमूला, डाक- अत्रिलोरा, जिला- कोजीकोड, केरल-673572 को हिरासत में लिया जाए और सेन्ट्रल जेल, पूजाप्पुरा, तिरुवंतपुरम, केरल में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, तिरुवंतपुरम, केरल के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12001/41/2019—कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)
(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 2019

S.O. 4224(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/41/2019-COFEPOSA dated 18.7.2019 under the said sub-section directing that Shri Faisal Kudilattummal, S/o Shri Ussain N K, R/o Kudilattummal, Thottumoola, Avilora P.O., Kozhikode Dist., Kerala-673572 be detained and kept in Central Prison Poojappura, Thiruvananthapuram, Kerala, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the said Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Thiruvananthapuram, Kerala, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/41/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.